न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 36 / 2023 / अपील / एलआरएक्ट / कोटा
दायरा दिनांक 08.02.2023
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. ललता बाई माता स्व० प्रेम बाई पिता हेमराज
2. अनिता बाई माता स्व० प्रेम बाई पिता हेमराज
   जाति धाकड निवासीगण ब्रहमा का छापर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हाल एकलिंगपुरा तहसील रावत भाटा जिला चितौडगढ
3. राम नरेश माता स्व० प्रेम बाई पिता हेमराज
4. नीलू माता स्व० प्रेम बाई पिता हेमराज, नाबालिग जरिये वली हेम राज पुत्र भुरा जी जाति धाकड
   निवासीगण ब्रहमा का छापर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

...अपीलांट्स

बनाम

1. श्रीमती सज्जन बाई पुत्री देवा उर्फ देवलाल जी, पत्नी राधेश्याम जाति धाकड निवासी ग्राम मदनपुरा तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रामगंजमण्डी

उपस्थित : श्री जितेन्द्र नामा –अपीलांट्स
श्री रामबाबू मालव अभिभाषक –रेस्पो0 क्र. 1
पेरोकार सरकार – रेस्पो क्र. 2

::निर्णय::

दिनांक 30.01.2025

अपीलार्थीगण ने न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा तस्दीक इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.8.2021 के विरूद्ध अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1. अपील प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा मुताबिक न्यायालय आदेश प्रकरण संख्या 12 / 2020 दिनांक 03.08.2021 न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि) रामगंजमण्डी के आदेशानुसार इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.8.2021 तस्दीक किया गया।

30/1/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

2. अपीलांट द्वारा उक्त आदेश से अप्रसन्न होकर भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 अन्तर्गत प्रथम अपील इस न्यायालय में पेश कर कथन किया कि ग्राम ब्रहमा का छापर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता नं0 41 पर ख0नं0 185, 95, 96 तीन किता की 1.62 हेक्टर भूमि तथा खाता सं० 42 पर 124/889, 145, 28, 29, 32, 58, 59 व 69/880 की 8 किता की 1.84 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रहीं है। उक्त भूमि के अपीलांट्स के नाना देवा उर्फ देवलाल के नाम दर्ज चली आ रही थी, उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि है। देवलाल जी के कोई पुत्र संतान नहीं है देवलाल जी की पत्नी रामचन्द्र का देहावसान हो चुका है तथा देवा जी के दो पुत्री सज्जन बाई व प्रेम बाई वारिस है जिसमें प्रेम बाई का देहावसान हो गया जिसके अपील्टस वारिसान है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से अपीलान्टान व रेस्पो०न० 1 का समान हक व हिस्सा है। किन्तु रेस्पो० नं0 1 ने गलत रूप से देवा उर्फ देवलाल की फर्जी वसीयत दिनांक 20.7.2002 बना ली जबकि पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं होती है। इस कारण उक्त वसीयत अपीलान्टान के अधिकारों के विपरीत व प्रभावशुन्य है। रेस्पो० नं० 1 ने तथाकथित उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्टान को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलान्टान ने जवाब पेश कर आपति पेश की। किन्तु साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही सरसरी तोर पर वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही रेस्पो० नं० 1 के नाम सरसरी तौर पर रेस्पो० नं0 2 ने दिनांक 17.8.21 को इंतकाल नं0 149 तस्दीक करवा लिया। इस प्रकार उक्त इन्तकाल गलत रूप से खोला गया है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.08.2021 विधि एवं न्याय संचिका में प्राप्त तथ्यों के सर्वथा विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीदार रामगंजमण्डी ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि खातेदार देवा उर्फ देव लाल के खाते दर्ज भूमि पुश्तैनी भूमि है ओर पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं की जा सकती है वसीयत केवल खरीद की गयी भूमि की होती हे इस कारण उक्त वसीयत नामा कानूनन अवैध अवैधनिक व प्रभावहीन है किन्तु इसके बावजूद भी उक्त अवैध वसीयत नामा के आधार पर रेस्पो० नं० 1 के नाम इंतकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर कतई ध्यान नहीं दिया कि देवलाल उर्फ देवा जी काफी वृद्ध थे और वे किसी प्रकार से वसीयत आलेखित करने में सक्षम नहीं थे उनका भूमि पर किसी प्रकार का कब्जा नहीं था बल्कि अपीलान्टान व रेस्पो० का कब्जा चला आ रहा था। इस कारण रेस्पो० नं० 1 के पक्ष में खोला गया उक्त इंतकाल को निरस्त किया जाना आवश्यक है। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है इस कारण सभी वारिसान का हक निहित है इस कारण तहसीलदार साहब को सभी वारिसान

30/1/2025
अति. जि. आयुक्त
कोटा

के हक में इंतकाल तस्दीक करना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही व बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना ही रेस्पो0नं0 1 के हक में इंतकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। अपीलांट्स को उक्त इंतकाल की जानकारी होने पर अपीलांट्स ने रेगूलर वाद एसडीओ रामगंजमण्डी में प्रस्तुत कर दिया दोराने वाद यह जानकारी में आया कि इंतकाल की अपील करना आवश्यक है। इस पर अपीलान्टान ने यह अपील पेश की है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का इंतकाल नं० 149 आदेश दिनांक 17.8.2021 को निरस्त किया जावे व देवा उर्फ देवलाल का इंतकाल अपीलान्टान व रेस्पो० नं० 1 के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

3. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स ने अपील मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि ग्राम ब्रहमा का छापर तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में खाता नं0 41 पर ख0नं0 185, 95, 96 तीन किता की 1.62 हेक्टर भूमि तथा खाता सं० 42 पर 124/889, 145, 28, 29, 32, 58, 59 व 69/880 की 8 किता की 1.84 हेक्टर भूमि स्थित चली आ रहीं है। उक्त भूमि पुश्तैनी भूमि होने से अपीलान्टान व रेस्पो०न० 1 का समान हक व हिस्सा है। रेस्पो० नं0 1 ने गलत रूप से देवा उर्फ देवलाल की फर्जी वसीयत दिनांक 20.7.2002 बना ली जबकि पुश्तैनी भूमि की वसीयत नहीं होती है। रेस्पो० नं० 1 ने तथाकथित उक्त वसीयत के आधार पर इंतकाल खोलने हेतु आवेदन पत्र पेश किया जिस पर अपीलान्टान को नोटिस जारी किये जिस पर अपीलान्टान ने जवाब पेश कर आपति पेश की। किन्तु साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही सरसरी तोर पर वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही रेस्पो० नं० 1 के नाम सरसरी तौर पर रेस्पो० नं0 2 ने दिनांक 17.8.21 को इंतकाल नं0 149 तस्दीक करवा लिया। वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी भूमि है इस कारण सभी वारिसान का हक निहित है इस कारण तहसीलदार साहब को सभी वारिसान के हक में इंतकाल तस्दीक करना चाहिये था किन्तु ऐसा न कर वसीयत को प्रमाणित करवाये बिना ही व बिना किसी प्रकार की जांच किये बिना ही रेस्पो0नं0 1 के हक में इंतकाल तस्दीक करने में त्रुटि की है। अपीलांट्स को उक्त इंतकाल की जानकारी होने पर अपीलांट्स ने रेगूलर वाद एसडीओ रामगंजमण्डी में प्रस्तुत कर दिया दोराने

30/1/2025
अति. जि. आयुक्त
कोटा

वाद यह जानकारी में आया कि इंतकाल की अपील करना आवश्यक है। इस कारण अपील इस न्यायालय में पेश की गई है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी का इंतकाल नं० 149 आदेश दिनांक 17.8.2021 को निरस्त किया जावे व देवा उर्फ देवलाल का इंतकाल अपीलान्टान व रेस्पो० नं० 1 के नाम खोले जाने का आदेश प्रदान किया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत 2014 DNJ(Rev.) Page No. 57 पेश किये गये।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा न्यायालय आदेश प्रकरण संख्या 12/2020 दिनांक 03.08.2021 न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि) रामगंजमण्डी के आदेशानुसार इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.8.2021 तस्दीक किया गया है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पोषणीय नहीं है, क्योंकि आदेश को चैलेंज नहीं किया गया है। यदि अपीलांट को न्यायालय तहसीलदार (भू–अभिलेख) रामगंजमण्डी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में प्रकरण संख्या 12/2020 बउनवान सज्जन बाई बनाम रामनरेश वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.08. 2021 से कोई आपत्ति थी तो आदेश को ही चैलेंज किया जाना चाहिए था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.8.2021 न्यायालय आदेश की पालना में ही तस्दीक किया गया हैं। अतः अपील अपीलांट पोषणीय नहीं होने से खारिज फरमायी जावे।

6. हमने अपील पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन किया तथा बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्षकारान पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा न्यायालय आदेश प्रकरण संख्या 12/2020 दिनांक 03.08.2021 न्यायालय तहसीलदार (भू.अभि) रामगंजमण्डी की अनुपालना में इंतकाल नं0 149 दिनांक 17.8.2021 तस्दीक किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में अपीलांट द्वारा वसीयत फर्जी होने तथा पुश्तैनी भूमि होने के कारण वसीयतकर्ता को वसीयत करने का अधिकार नहीं होने से नामांतरकरण निरस्ती हेतु निवेदन किया है। प्रस्तुत नामांतरकरण संख्या 149 दिनांक 17.08.2021 न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी के द्वारा अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में प्रकरण संख्या 12/2020 बउनवान सज्जन बाई बनाम रामनरेश वगे0 में पारित निर्णय दिनांक 03.08.2021 की अनुपालना में खोला गया है। अतः उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी जाकर केवल नामांतरकरण को चुनौती देने से अपील चलने

30/1/2025
अति. संभा. आयुक्त
कोटा

योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी के पैतृक आराजी होने एवं वसीयत फर्जी होने के समर्थन में कोई दस्तावेज ना तो विचारण न्यायालय में तथा ना ही इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। प्रस्तुत नामांतरकरण न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमण्डी के आदेश की पालना में खोला गया है। न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमडी द्वारा अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 135(2) में पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 को चैलेंज किये बिना प्रस्तुत अपील सारहीन प्रकट होती है। इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तस्दीक नामांतरकरण संख्या 149 दिनांक 17.08.2021 न्यायालय तहसीलदार, रामगंजमडी के द्वारा पारित आदेश दिनांक 03.08.2021 की अनुपालना में खोले जाने से नामांतरकरण संख्या 149 दिनांक 17.08.2021 न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। परिणाम स्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती है।

7. निर्णय आज दिनांक 30.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

30/1/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा